दैनिक जागरण देहरादून, 20 नवंबर, 2026

देहरादून जागरण

अब घर बैठे खरीदें निर्माण सामग्री, खनन पट्टों के लिए भी आनलाइन आवेदन

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून: निर्माण कार्यों के लिए रेत, बजरी और अन्य खनिज सामग्री खरीदने से लेकर खनन पट्टा हासिल करने तक की प्रक्रिया अब आनलाइन होने जा रही है। इसके लिए खनन विभाग ने डिजिटल माध्यम से सेवाओं को आमजन और कारोबारियों के लिए सुलभ बनाने की पहल की है।



- उत्तराखंड मिनरल मार्ट पोर्टल से मिलेगी खनिज सामग्री, उचित दाम पर खरीद की सुविधा
- ई-सर्विसेज पोर्टल पर खनन अनुमति, पट्टा और रिटेल भंडारण के लिए कर सकेंगे आवेदन

उत्तराखंड मिनरल मार्ट पोर्टल के जरिये उपभोक्ता घर बैठे अपनी जरूरत के अनुसार निर्माण सामग्री खरीद सकेंगे। वहीं, ई-सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से खनन अनुमति, खनन पट्टा और रिटेल भंडारण समेत विभिन्न सेवाओं के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इससे न केवल विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी, बल्कि प्रक्रियाओं में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

प्रदेश में खनन विभाग राजस्व देने वाले प्रमुख विभागों में शामिल है। इस वर्ष खनन विभाग 1200 करोड़ से अधिक का राजस्व लक्ष्य हासिल कर चुका है। अब विभाग ने आमजन को राहत देने के लिए भवन निर्माण में उपयोग की जाने वाली खनिज सामग्री को आनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने की पहल की है। उत्तराखंड मिनरल मार्ट पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक और निर्माण कार्यों से जुड़े उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुरूप खनिज सामग्री की आनलाइन खरीद कर सकेंगे। इसके लिए विभाग ने पंजीकृत स्टाकिस्ट व स्टोन क्रशर के नाम व नंबर वेबसाइट में जोड़े हैं। यहां आमजन इनसे बात कर खनन सामग्री की कीमत तय कर सकते हैं।

खनन संबंधी सेवाओं के लिए भी डिजिटल व्यवस्था

ई-सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से खनन क्षेत्र में अनुमति और पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया भी आनलाइन की जा रही है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति घर बैठे खनन अनुमति, खनन पट्टा और रिटेल भंडारण से संबंधित सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेगा। इससे आवेदन प्रक्रिया सरल बनेगी। निदेशक खनन राजपाल लेघा का कहना है कि खनन सामग्री से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।